न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2017 G.C.M.S. No. 2017/00318 दर्ज दिनांक : 29.06.2017

अपीलार्थिगण:

1. स्व. वगता पुत्र वनाजी के का.मु.–
   1/1 धनाराम पुत्र स्व. वगता
   1/2 मगाराम पुत्र स्व. वगता
   1/3 पोमाराम पुत्र स्व. वगता
   1/4 मोहनलाल पुत्र स्व. वगता
   1/5 हीराराम पुत्र स्व. वगता
   1/6 नेनु पुत्री स्व. वगता
   1/7 पुनकी पुत्री स्व. वगता
   1/8 गंगा पुत्री स्व. वगता
   1/9 हरूदेवी पत्नि स्व. वगता, तमाम जातिगण जणवा चौधरी, निवासीगण दांतीवाड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. भूराराम पुत्र उदा के का.मु.–
   1/1 पकाराम पुत्र स्व. भूरा
   1/2 वरदाराम पुत्र स्व. भूरा
   1/3 हकाराम पुत्र स्व. भूरा
   1/4 पंकू पुत्री भूरा
   1/5 फूली पत्नि भूरा
2. पेमा पुत्र उदा
3. स्व. जगीया उर्फ जगला के का.मु.–
   3/1 सुरेश पुत्र स्व. जगीया उर्फ जगला
   3/2 कंकूदेवी पत्नि स्व. जगीया उर्फ जगला
4. जीवा पुत्र रूपा
5. हीरा पुत्र रूपा
6. कूपा पुत्र वना
7. दीपी पुत्री वना, तमाम जातिगण जणवा चौधरी, निवासीगण दांतीवाड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।
8. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2012 बअनवान वगता वगैरह बनाम भूरा के का.मु. पकाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017

पैरोकार:–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1/3 व 2
3. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2012 बजनवान वगता वगैरह बनाम भूरा के का.मु. पकाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में सरहद मौजा दांतीवाड़ा तहसील बाली में हाल खसरा नम्बर 261 रकबा 2.83 हैक्टर किस्म जा. दो./चा. दो. व खसरा नम्बर 269 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म जा.दो/चा.दो. कुल खसरान् दो कुल रकबा 2.94 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपील की वादग्रस्त कृषि भूमि है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 147 व 148 थे। पुराने खसरा नम्बर 146, 147, 148, 150, 151, 152, 149 कुल रकबा 72 बीघा 16 विस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 के अनुसार खाता अचला, काना, पुनिया पिसरान् गुमना हिस्सा 1/4, घीसीया पुत्र ओटा जातिगण कुम्हार, रूपा, उदा पिसरान् टिकम, वगता, कुपीया पिसरान् वना, समीया, छतरीया, डाया पिसरान् मोटा, धुली वेवा नगा, हिस्सा 1/6, मोटा पुत्र इन्दा, गमना, लिया पिसरान् दुर्गा हिस्सा 4/16 कौम सीरवी सादेह खातेदार के नाम से सह–खातेदारी के रूप में दर्ज था। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने मौका स्थिति अनुसार खातेदारों का अलग–अलग खाते बनाकर खसरा नम्बर दर्ज किये। जिस अनुसार खसरा नम्बर 261 व 269, रकबा 2.94 हेक्टर में रूपा, उदा पिसरान् टिकम, वगता, कुपीया पिसरान् वना दर्ज करना था परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वगता, कुपीया पिसरान वना का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व किसी रूप से हस्तान्तरण किये बगैर ही नाम हटा लिया जो विधिविरूद्ध है। वगता, कुपीया पिसरान् वना का उक्त कृषि भूमि के 1/3वां हक–हिस्सा पर पुश्तैनी रूप से कब्जा कायम है। जिसके रहते स्व. वगता पुत्र वनाजी व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 द्वारा उक्त कृषि भूमि पर काश्त की जाती रही है। जो आज भी अपीलाण्ट्स द्वारा कायम है। परन्तु, सेटलमेन्ट कर्मचारीयों की गलती से उक्त इन्द्राज नहीं हुआ है। जिस इन्द्राज को सुधारने व अपने नाम दर्ज करवाने हेतु रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 वगैरा द्वारा एक राजस्व वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश किया। उक्त राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर्ड होकर विचाराधीन रहते अपीलाण्ट्स के पिता वादी संख्या 1 वगता पुत्र वनाजी की मृत्यु हो गई। वगता पुत्र वनाजी की मृत्यु के का.मु. को रेकर्ड पर लेने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके आधार पर स्वर्गीय वगताजी के का.मु. को रेकर्ड पर लिया जाकर संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जाना था, परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को राजस्व कोर्ट केम्प भीलवाड़ा में पत्रावली को सुनवाई हेतु रखकर एक ही दिन में पक्षकारों को रेकर्ड पर लेकर कुछ पक्षकारों की उपस्थिति लेकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति मानकर उक्त राजस्व वाद का केम्प टारगेट पुरा करने हेतु आनन-फानन में निस्तारण कर आदेश पारित कर दिया। जोकि विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.06.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 01.04.2015 से पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। जो दिनांक 16.05.2017 तक इसी स्तर पर नियत रही। इसी दरम्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प में नियत कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होकर वादपत्र का विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में वादपत्र के विधिनुरूप निस्तारण के लिए प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के साथ वादपत्र का अंतिम निर्णयन आज्ञापक था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली 2 वर्ष से अधिक समय तक कायमी तनकीयात में नियत होने के बावजूद तनकीयात कायम किए बिना एवं उभयपक्षकारान द्वारा सहमति व राजीनामा निष्पादित किए बिना, उभयपक्षकारान को सूचित किए बिना पत्रावली लोक अदालत कैम्प में नियत कर समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं होने के बावजूद तथा किसी प्रकार का राजीनामा निष्पादन नहीं करने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जो किसी भी दृष्टि में न तो लोक अदालत में राजीनामा से निर्णित प्रकरण की श्रेणी में आता है एवं न ही विधिक प्रक्रियानुसार गुणावगुण पर निर्णित प्रकरण की श्रेणी में आता है। हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय वादपत्रों के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का विचलन करते हुए यांत्रिक रूप से एवं बिना मस्तिष्क व विवेक का उपयोग किए पारित निर्णय होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2012 बअनवान वगता वगैरह बनाम भूरा के का.मु. पकाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 06.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner